

[illegible]

के विषय में चर्चा, कॉलोनी विकास कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में ~~अ~~ - भूतनग दल को अनुमोदित करने एवं प्राथमिकता दूसरी अनुसूची सदस्यों को सूखण आवंटन/पंजीयन कार्य, नवीन सदस्य बनाये जाने, आदि के विशेष साधारण सभा आहूत किया जाना आवश्यक होने से दिनांक 22.12.2024 को स्थान :- श्री पल्लुराम नगर, 220 के बी. ग्रीड के आगे. पब्लिक वार्ड रोड पर दोष. 12.15 बजे 8. आहूत करने का सर्वाभिमति निर्णय लिया जाता है।

3m

3m

Dineen

Preecan

9/22

J. n. Sher



मिनिंग एलेक् सदिन दिने २३/१२/२०२५

श्री पद्मराज सुविद्या गृह निर्माण सह समिति गंभीर नीति की पुनर्वाचन की बैठक २३/१२/२०२५ को श्री बालकृष्ण शर्मा की अध्यक्षता में स्थान १२६, शिवाजी कॉलोनी बीकानेर पर सांय ६:०० बजे प्रारंभ की गई, जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे।

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| (१) श्री बालकृष्ण शर्मा | (६) श्री सत्यनारायण शर्मा |
| (२) श्री महेंद्र कुमार शर्मा | (७) श्री ओम प्रकाश शर्मा |
| (३) श्री दिनेश चन्द नागडा | (८) श्री रावेल रामेंद्र उपाध्याय |
| (४) श्री पवन कुमार | (९) श्री अजय कुमार अर्जुन |
| (५) श्री नरेश सोप | |

(शप) संस्था के विकट कृतीय लोगों के द्वारा की जा रही गंभीर शिकायतों के कारण संस्था के हितों पर हो रहे विपरीत प्रभावों पर विचार बाबत।

(शप) संस्था के विकट कृतीय लोगों के द्वारा बार-बार क्लेमर नीति को अनुरोध में गंभीर शिकायतों की जा रही है, जिससे संस्था का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। तथा संस्था के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा एक बार शिकायत का निराकरण होने के बाद पुनः बगैर हस्ताक्षर युक्त आवेदन पर संस्था के विकट कार्यवाही के करने का आदेश कर, जांच का नोटिस जारी किया गया है, जिसे नही शेका गया तो संस्था के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका प्रस्तुत करने हेतु संस्था के उपाध्यक्ष को अधिकृत कर आवेदन की नियुक्ति एवं उक्त कार्यवाही में होने वाले समस्त व्ययों की सर्वसमिति से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(215) विशेष साधारण सभा दिनांक 22/02/2024 के प्रस्ताव 139 के फालन में संस्था के सदस्यों को श्रवणों का पंजीयन करवाने हेतु अधिकृत करने वाक्य।

(215) विशेष साधारण सभा दिनांक 22/02/2024 के प्रस्ताव 139 के अनुसार संस्था के सदस्यों को श्रवणों का पंजीयन करवाया जाता है श्रवणों के पंजीयन करवाने हेतु अधिकृत दिया जाना है विचार-विमर्श उपरान्त सर्वानुमति से निर्णय जाता है कि संस्था के सदस्यों को श्रवणों के पंजीयन करवाने हेतु अधिकृत दिया जाता है।

(216) संस्था के सदस्य श्री बनवारी लाल जी की मृत्यु होने से नाम अंतरण के आवेदन पर विचार वाक्य।

(216) संस्था के सदस्य श्री बनवारी लाल पिता शंकर लाल जी की मृत्यु होने से नाम अंतरण हेतु श्री मनीष शर्मा की प्रति श्री बनवारी लाल जी ने आवेदन मस शपथ पत्र एवं बनवारी लाल जी का मृत्यु प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया है, जिससे श्री बनवारी लाल जी के स्थान पर उनके पुत्र श्री मनीष शर्मा पिता स्व. श्री बनवारी लाल जी के नाम पर अंतरण करने हेतु विचार जाया है, विचार विमर्श उपरान्त सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि संस्था के सदस्य श्री बनवारी लाल जी के स्थान पर श्री मनीष पिता बनवारी लाल शर्मा को नाम दर्ज किया जावे।

(217) शासकीय अधिनियम 1065, 1066 के आवेदन हेतु पुनः कलेक्टर नीमज को आवेदन प्रस्तुत करने वाक्य।

(217) शासकीय अधिनियम 1065, 1066 के आवेदन हेतु, पूर्व से कार्यवाही प्रचलित थी, जिस नियमानुसार अधिनियम आवेदन हेतु कलेक्टर नीमज द्वारा अनुशंसा करते हुये शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया था, परन्तु कुछ पूर्ति कार्य करने हेतु शासन ने प्रस्ताव पुनः कलेक्टर नीमज को वापस भेजा था परन्तु नीमज द्वारा

शर्तियाँ पूर्ण होने के बावजूद भी प्रकरण शासन को न गेजत हुए संस्था को खिने खुने की आवेदन प्रकरण निरस्त कर भूखि को पुलिस विभाग को आवेदित कर दी गई थी। निरुद्धी अवधि अवधि में निरुद्धी कार्य करने की शर्त में पुलिस विभाग द्वारा निरुद्धी कार्य निरुद्धी अवधि में नहीं किया गया है इस कारण यदि आवेदन स्वतः ही निरस्त हो चुका है, संस्था को पुनः आवेदन हेतु कलेक्टर निम्न को आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे की संस्था को भूखि प्राप्त हो सके सदस्यों द्वारा शासकीय आवेदन के औचित्य पर चर्चा की गई, जिससे पर आधारित द्वारा बताया गया की उपरोक्त भूखि संस्था की भूखि से लगी लेने से संस्था रास्ते के उपयोग में आवेगी। न्याय उपरान्त सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि निम्नानुसार पुनः भूखि आवेदन हेतु आवेदन किया जावे।

(११८) संस्था को विकास कार्य करने हेतु धन की आवश्यकता है इस हेतु संस्था के मुख्यालय अंतर्गत नवीन सदस्य बनाये जाने पर विचार वास्तव।

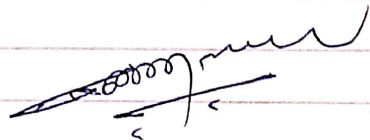
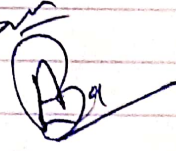
(११९) संस्था को समय पर विकास कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता है, संस्था के सदस्यों द्वारा भोग अंतर्गत धन की गुणवत्ता समय नहीं पर नहीं किया जा रहा है, प्रत्यक्ष धन के अभाव में विकास कार्य प्रकट होने की संभावना है, इस हेतु नवीन सदस्य बनाये जाना आवश्यक है, गहन चर्चा उपरान्त

श्रद्धा अन्तर्गत नवीन सदस्य
बनाये जाने का संवत्सुराति से
निर्णय लिया जाता है एवं नियमावली
समानाचार पत्र में प्रारूप बना कर
प्रिण्टिंज जारी कर नवीन सदस्य
हेतु आवेदन पत्र आगमित्र किये
जावे एवं आवेदन के आधार
पर नियमावली नवीन सदस्य
बनाये जावे। ताकि विकास कार्य
समय पर पूर्ण हो सके।

(२०) संस्था के सदस्य श्री अतुल श्रुंगी
का नाम राइफिंग गुरि के कारण
पूर्व की लिस्ट में छूटने के कारण
वापस जोड़ने का अत।

(२१) संस्था के सदस्य श्री अतुल
श्रुंगी का नाम
राइफिंग गुरि के कारण पूर्व
की लिस्ट में छूटने के कारण
नाम सूची में नहीं होने से
संवत्सुराति से वर्ष-२०२५ की
सूची वापस जोड़ा जाने का
निर्णय लिया जाता है।

Dinesh
अतुल श्रुंगी
Gemma
Sn. Sharma


Dinesh

Gemma

मिडिंग प्रबंध-समिति दिनांक २३/३/२५

श्री परशुराम सुविद्या गृह निर्माण सह समिति की प्रबंध समिति की बैठक दिनांक २३/३/२५ को श्री बालकृष्ण शर्मा की अध्यक्षता में १२६, शिखर कॉलोनी मीनम पर सायं ६:०० बजे प्रारंभ की गई जिसमें निम्न सदस्य गण उपस्थित रहे-

- ① श्री बालकृष्ण शर्मा
- ② श्री होम प्रकाश शर्मा
- ③ श्री राधेश्याम उपाध्याय
- ④ श्री अजय कुमार अरंगल
- ⑤ श्री पवन कुमार
- ⑥ श्री महेश कुमार
- ⑦ श्री दिनेश चन्द्र नागडा
- ⑧ श्रीमती गायत्री सापेड़ा
- ⑨ श्री सत्यनारायण शर्मा
- ⑩ श्रीमती चन्द्रबोता
- ⑪ श्री नरेश सैय

(१२०) संस्था का अनुमानित
वर्ष २०२६-२०२७
का स्वीकृत कले बाबत।

(१२०) संस्था का अनुमानित
वर्ष २०२६-२०२७
का अध्यक्ष महोदय द्वारा
प्रस्तुत किया गया एवं
निम्नांश अनुमानित वर्ष का
वाचन किया गया जिस पर
उपस्थित सदस्यों द्वारा मत
-चर्चा की गई, -चर्चा उपरान्त
प्रस्तुत अनुमानित वर्ष
२०२६-२०२७ का सर्वसम्मति
से स्वीकृत किया जाता है तथा
स्वीकृत वर्ष को आगामी
वार्षिक साधारण सभा में
अनुमोदित कराया जावे।

अनुमानित आय:-

अनुमानित व्यय:-

① प्रवेश शुल्क	१००० = ००
② प्रबंध शुल्क	१००००० = २०
③ शुद्ध अमानत	५००००० = ००
④ विक्रय शुल्क	३००००००० = ००
⑤ श्रवण भण्ड	९००००००० = २०
⑥ अन्य आय	६००० = ००

① स्टेशनरी व्यय	१०००० = ००
② डब व्यय	१०००० = २०
③ वास्तव्य व्यय	२००००० = २०
④ विविध व्यय	१००००० = २०
⑤ कार्यालय भिरा	१००००० = २०
⑥ अतिथि सत्कार	५०००० = २०

2) $39157000 = 39157000$

(21) सोव्या की वार्षिक साधारण सभा आयुक्त होने पर विचार दिया गया सर्वनिम्नलिखित विचार उपरान्त निर्णय लिया गया कि :
सरकार महान शिक्षा डेवलपमेंट नीति में 20 अथवा 21 सितम्बर 2015 में आयोजित किया जावे।

[illegible]